चुनाव | रादुविवि कर्मचारी संघ का चुनाव 25 को, प्रत्याशी लगा रहे एड़ी-चोटी का जोर

दागी और आपराधिक प्रवृति के कर्मचारी भी चुनाव मैदान में

नवभारत, जबलपुर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में आगामी चल रहे कर्मचारी संघ के चुनाव में कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं, जिनके ऊपर अपराधिक प्रकरण दर्ज है और वह कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से निलंबित हो चुके हैं। कहा जाए तो दागी और आपराधिक प्रवृत्ति के कर्मचारी भी चुनाव में अपनी दावेदारी कर रहे हैं, जिसमें कर्मचारी संजय यादव का पहला नाम है जो अध्यक्ष पद पर प्रत्याशी है। इन पर निलंबित होने का दाग लगा हुआ है, साथ ही उच्च शिक्षा विभाग की जांच रिपोर्ट के अनुसार वह अपराधिक प्रकरण दर्ज है।

उल्लेखनीय है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में आगामी 25 मार्च को कर्मचारी संघ का चुनाव होने वाला है। बुधवार

को नाम वापसी के बाद चुनाव में प्रत्याशियों की स्थिति पूरी तरह से साफ हो गई है। जिसमें कर्मचारी संघ अध्यक्ष के लिए तीन दावेदार मैदान में उतर चुके हैं। इनमें प्रेम प्रकाश पुरोहित, संजय यादव और वीरेंद्र सिंह पटेल शामिल हैं। वहीं इसके अलावा बाकी पदों के लिए भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है।

निलंबन की हो चुकी है कार्यवाही

गौरतलब है कि कर्मचारी संजय यादव के खिलाफ पूर्व में कुलगुरु के साथ अभद्र व्यवहार के मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। जारी आदेश में बताया गया था कि संजय यादव द्वारा किया गया कृत्य आचरण नियमों के विरुद्ध है। निलंबन अवधि में उसका मुख्यालय व्यंकटेश लाइब्रेरी (विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र), कटनी था, लेकिन स्टे ऑडर लेने के बाद कर्मचारी अब भी विश्वविद्यालय में कार्यरत है। देखा जाए तो ऐसे कर्मचारी अगर विवि में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो विश्वविद्यालय में आगे की स्थिति क्या होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।

पहले से विवादों में रहा है कर्मचारी

सूत्रों के अनुसार संजय यादव पूर्व में भी तत्कालीन कुलपति के साथ अभद्रता के मामले में निलंबित हो चुका है।

जिसमें कर्मचारी संजय यादव द्वारा पुराने कुलपति की गाड़ी को टक्कर मारी गई थी, जिसके बाद तत्काल रूप से संजय यादव को सस्पेंड किया गया था। उस पर पहले भी गंभीर आरोप लग चुके हैं।

अनियमितताओं की जांच के दायरे में है संजय यादव

विदित है कि संजय यादव पूर्व में लेखा शाखा में पदस्थ था, लेकिन अनियमितताओं की शिकायत के बाद उसे वहां से हटा दिया गया था। उसकी भूमिका की जांच के लिए पहले से ही एक समिति गठित है। विश्वविद्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर संजय यादव पर पुलिस में आपराधिक प्रकरण दर्ज है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार जांच टीम ने विश्वविद्यालय में अपराधिक प्रकरण दर्ज वाले लोगों को हटाने के लिए आदेशित किया था, उसके बावजूद भी वह विश्वविद्यालय में कार्यरत रहा।

कलेक्टर का आदेश निरस्त, पचास हजार का जुर्माना

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने छिंदवाड़ा कलेक्टर के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें तथ्यों को जांचे बिना ही खनन अधिकारी की रिपोर्ट को आँख मूंद करके स्वीकार कर लिया और असंबंधित व्यक्ति पर गलत तरीके से दोष मढ़ दिया। आईएएस अधिकारी के आचरण पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए न्यायालय ने 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया, जिसे दोषी अधिकारियों से वसूल कर याचिकाकर्ता को भुगतान करना है।

छिंदवाड़ा निवासी सारंग रघुवंशी ने छिंदवाड़ा कलेक्टर के जुर्माने के आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि राजस्व कार्यालय ने वैधानिक प्राधिकरण या आवश्यक दस्तावेज़ों के बिना अवैध रूप से सामग्री परिवहन कर रहे एक ट्रक को जब्त किया। खनन निरीक्षक द्वारा अंतिम रिपोर्ट के साथ एक पंचनामा तैयार किया गया और अभियोग के लिए दस्तावेज़ कलेक्टर को सौंप दिए गए। याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ और उसने जवाब दाखिल करते हुए कहा कि वह ट्रक का मालिक नहीं है। याचिकाकर्ता के जवाब पर विचार नहीं किया गया और 27 जनवरी 2025 को ट्रक को जब्त करने का निर्देश पारित किया गया। न्यायालय ने पाया कि खनन अधिकारी ने ट्रक के मालिक का पता लगाने और उसके बयान दर्ज करने का कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि ट्रक चालक राजेश के बयान पर भरोसा किया। न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता को गलत तरीके से वाहन का मालिक माना गया और उस पर दायित्व थोपा गया। जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।

पंचायत कर्मी की नियुक्ति पर यथास्थिति के निर्देश

मप्र हाईकोर्ट ने टीकमगढ़ के पाठा में पंचायत कर्मी की नियुक्ति पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने नियुक्ति विवाद का मामला वापस एसडीओं को भेजते हुए निर्देशित किया है कि वह दस्तावेजों की वैधानिकता के आधार पर निर्णय लें। दरअसल टीकमगढ़ निवासी रामगोपाल नायक की ओर से अधिवक्ता प्रभात असाटी ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता और अनावेदक हरीश चंद्र साहू ने पंचायत कर्मी की नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लिया और दोनों को बराबर अंक मिले। चूंकि हरीश ओबीसी वर्ग से है, इसलिए उसे नियुक्ति दे दी गई। याचिकाकर्ता ने एसडीओ और एडीशनल कलेक्टर के समक्ष आपत्ति जताते हुए कहा कि नियुक्ति पाठा के लिए थी और हरीश का जन्म प्रमाण और राशन कार्ड बड़ा मल्हेरा का है। एसडीओं और एडीशनल कलेक्टर ने याचिकाकर्ता की अपील निरस्त कर दी, इसलिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने दोनों आदेशों को अनुचित पाते हुए निरस्त कर दिया और मामला वापस एसडीओं को भेज दिया।

स्टेट बार मतदाता सूची में सुधार नहीं तो होगा प्रदेशव्यापी आंदोलन

हाईकोर्ट व जिला बार पदाधिकारियों के साथ सैकड़ों वकीलों ने चुनाव अधिकारी को सौंपी आपत्ति

जबलपुर। एमपी स्टेट बार काउंसिल की नवीन कार्यकारिणी के चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। इससे पूर्व विगत दिनों प्रारंभिक मतदाता सूची जारी की गई। हाईकोर्ट व जिला बार के पदाधिकारियों ने सैकड़ों वकीलों के साथ चुनाव अधिकारी व सचिव के समक्ष पहुंचकर आपत्ति दर्ज कराई। उनका आरोप है कि 2026 की प्रारंभिक मतदाता सूची 2019 की फाईनल लिस्ट को

ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई है। यदि इस गलती का समय रहते सुधार नहीं हुआ तो वकील प्रदेशव्यापी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष धन्य कुमार जैन, सचिव परितोष त्रिवेदी व जिला बार अध्यक्ष मनीष मिश्रा, सचिव ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि जो प्रारंभिक मतदाता सूची जारी की गई है, उसमें प्रदेश के हजारों अधिवक्ताओं के नाम जुडने से वंचित रह गए हैं। जिस पर दावे-आपत्ति हेतु समय कम से कम 15 दिन बढ़ाया जाए। साथ ही जिन अधिवक्ताओं के नाम नहीं जुड़े हैं, उनके नाम जोडने की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। दरअसल, एमपी स्टेट बार के 2019 के इलेक्शन की जो प्रारंभिक मतदाता सूची जारी हुई थी, उसके आधार पर 2026 की लिस्ट तैयार की गई है, 2019 की फाईनल लिस्ट को ध्यान में नहीं रखा गया। यदि किसी भी अधिवक्ता को जो मतदान करने हेतु पात्र है, उसका नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया तो वकील आंदोलित हो जाएंगे। स्टेट बार चुनाव एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश व दो पूर्व हाईकोर्ट जजों के मार्गदर्शन में हो रहा है, इसलिए पारदर्शिता अपेक्षित है।

अनुकंपा नियुक्ति के दावे का करों निराकरण

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के अनुकंपा नियुक्ति दावे का निराकरण करने के निर्देश दिये है। इसके लिये न्यायालय ने 120 दिन की मोहलत प्रदान की है। याचिकाकर्ता उमरिया निवासी देनानंद बैगा की ओर से अधिवक्ता एसडी गुप्ता व कपिल गुप्ता ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता के पिता मोहनलाल बैगा की 11 अगस्त 1995 को मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी संभाग कटनी में लाइन परिक्षेत्र श्रेणी-दो में नियुक्ति हुई थी। 21 सितंबर 2021 को उनकी मृत्यु हो गई। वे अपने पीछे पत्नी के साथ चार पुत्रियां और एक पुत्र छोड़ गए। परिवार के सभी सदस्य बेरोजगार हैं। आय का कोई साधन नहीं है। याचिकाकर्ता पिता की आय पर ही निर्भर था। पिता के न रहने के बाद से भूखों मरने की नौबत आ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि पेंशन तक नहीं मिल रही है।

मुनाफे का लालच देकर 40 लाख हड़पे

आभूषण व्यवसाय में निवेश के नाम पर लगाई चपत

जबलपुर। चांदी के रेट बढने और भविष्य में निवेश करने पर अच्छा फायदा होने का प्रलोभन देकर जालसाज ने एक बुजुर्ग को 40 लाख रूपए की चपत लगा दी। पाटन पुलिस ने रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक मनोज कुमार पाण्डेय 52 वर्ष, निवासी ग्राम धमनी, कटरा वेलखेड़ा ने लिखित शिकायत की कि, विनोद पिता प्रहलाद सोनी निवासी उपरेन्द्रगंज, राजेन्द्र प्रसाद वार्ड, प्रोप. वालाजी ज्वेलर्स थाना कोतवाली के द्वारा निवेश के नाम पर मुनाफे का

प्रलोभन छल कपट एवं धोखा देने की नियत से लगभग 40 लाख रूपए हड़प लिए है। विनोद सोनी ने लालच दिया था कि चांदी के रेट बढ रहे है एवं भविष्य में निवेश करने पर अच्छा फायदा आपको होगा। विनोद सोनी की प्रलोभन वाली बातों में आकर अपनी ग्राम धमनी पाटन की पैतृक जमीन को अमित चौबे को 20,82,000 रूपए में गिरवी रख दी थी, एवं किसान क्रेडिट कार्ड से बैंक ऑफबडोदा शाखा अधारताल से 6.30,000 रूपए का लोन लिया। इसके अलावा घर का पैतृक सोना लगभग 110 ग्राम को विनोद सोनी को अपने ग्राम धमनी थाना पाटन पर दिया था। इस प्रकार कुल 40 लाख रूपए की राशि का विनोद सोनी की बातों में आकर दिया था। जब उसने विनोद सोनी से जब अपने निवेश की गई उक्त राशि एवं जेवर की मांग की तो विनोद सोनी टाल मटोल, हीला हवाली करते रहा। विनोद सोनी के द्वारा पूर्व में राशि लौटाने के एवज में स्नेह नगर में प्लाट देने एवं रजिस्ट्री कराने की बात की थी। जिसके एवज में उससे 3 चैक हस्ताक्षर कराकर ले लिये थे साथ ही कार (सफारी) के मूल पेपर, आर सी ले लिये जो अभी तक नहीं लौटाये है। जमीन एग्रीमेट के पेपर एवं ओरिजनल बही नहीं दिये, एक्टिवा गाडी एव सफारी गिरवी रख दी थी जिसका 20 प्रतिशत व्याज सहित पैसा लिया है। विनोद सोनी व प्रहलाद सोनी कई अन्य लोगों को भी झांसा देकर इसी तरह फंसा कर लोगो की राशि हडप का व्यापार करते चले आ रहे है। जांच में पाया गया कि ग्राम धमनी पाटन में मनोज कुमार पाण्डे द्वारा 110 ग्राम सोना कीमती 13 लाख रूपये एवं बैंक खाते एवं नगदी के माध्यम से 22 लाख रूपये कुल राशि 35 लाख रूपये विनोद सोनी को चांदी के व्यवसाय में निवेश करने के लिये दिये थे जिसे विनोद हड़प गया।

आधी रात के बाद मौसम ने ली करवट, मूसलाधार बारिश से बदला माहौल

जबलपुर। मार्च के महीने में जहां आमतौर पर गर्मी का असर बढ़ने लगता है, वहीं देर रात लगभग 1 बजे अचानक मौसम ने करवट ली और तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। करीब रात 1 बजे शुरू हुई इस बारिश ने शहर का माहौल पूरी तरह बदल दिया। आंधी और बारिश का असर शहर के कई प्रमुख इलाकों में देखने को मिला। खासकर अधारताल, रानीताल, गोरखपुर, मदन महल, सदर, घमापुर, लार्डगंज, विजय नगर और सिविल लाइंस क्षेत्रों में तेज हवा और बारिश के कारण हालात बिगड़े। कई जगह पेड़ की डालियां टूटने और जलभराव की स्थिति भी बनी। सुबह एक फिर से मौसम का मिजाज बदला। झमाझम बारिश हुई इसके बाद धूप खिल उठी। दिन चढ़ने के साथ बादलों और सूरज के बीच आंख मिचौली चली। शाम ढलने के बाद

फिर बूंदाबांदी हुई। तेज हवाएं चली। रूक-रूककर हो रही बारिश से ठंडक घुल गई है।

घंटों बिजली हुई गुल

बारिश, अंधड़ से कई क्षेत्रों की बिजली गुल रही। घंटों बिजली बंद होने के चलते उपभोक्ता विद्युत विभाग के नंबरों पर फोन घनघनाते रहे। बिजली अमला भी सूचनाओं पर सक्रिय हुआ और सुधार कार्य शुरू किया। रातभर बिजली की आंख मिचौली चली।

ऐसा रहा तापमान

शुक्रवार को अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 5 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री पर पहुंच गया। सुबह के वक्त आद्रता 74 और शाम को 45 प्रतिशत दर्ज की गई। दक्षिण-पूर्व हवाएं 5 से 6 किमी की रफ्तार से चली।

यह सिस्टम है सक्रिय

मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ, एक ट्रफ के रूप में उत्तरी पाकिस्तान से दक्षिण-पश्चिम मध्य प्रदेश तक पंजाब और राजस्थान से होकर माध्य समुद्र तल से 3.1 से 12.6 किमी की ऊँचाई पर विस्तृत है। एक प्रेरित ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण, हरियाणा के ऊपर माध्य समुद्र तल से 1.5 किमी ऊँचाई पर सक्रिय है। एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण, उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश और संलग्न दक्षिण उत्तर प्रदेश के ऊपर माध्य समुद्र तल से 0.9 किमी ऊँचाई पर सक्रिय है। एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ 22 मार्च से उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है और एक अन्य सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ 26 मार्च से उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है।

तेज रफ्तार ट्राला ने ली कलेक्ट्रेट कर्मचारी की जान पत्नी और मासूम बेटी गंभीर रूप से घायल

जबलपुर। सिहोरा थाना अंतर्गत उलदना ब्रिज के समीप शुक्रवार को तेज रफ्तार ट्रॉला ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। इस भीषण सड़क हादसे में कलेक्ट्रेट कर्मचारी की दर्दनाक मौत हो गई। घटना उस वक्त हुई जब मृतक अपनी पत्नी और दो साल की मासूम बेटी के साथ बाइक पर सवार होकर स्लीमनाबाद जा रहा था। हादसे में पत्नी और मासूम बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। सिहोरा थाना प्रभारी प्रतीक्षा मार्को से मिली जानकारी के अनुसार मूलत: स्लीमनाबाद निवासी रमाकांत नामदेव 33 वर्ष का जबलपुर में शासकीय क्वार्टर में पत्नी बच्ची के साथ रहता था और कलेक्ट्रेट में भृत्य के पद पर पदस्थ था। शासकीय अवकाश होने के चलते हुए वे अपनी पत्नी रश्मी और दो वर्षीय बेटी के साथ मोटरसाइकिल से स्लीमनाबाद जा रहा था जैसे ही वे उलदना ब्रिज के समीप पहुँचा तो सामने से आ रहे एक ट्रॉला के चालक ने लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाते हुए उन्हें सीधी टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि रमाकांत तिवारी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं, उनकी पत्नी रश्मी और दो साल की मासूम बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। राहगीरों की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ उनका उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुँचा और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

बोलेरो ने ली बेजुबान की जान, चालक पर प्रकरण दर्ज

गढ़ा में बोलेरो ने बेजुबान श्वान को रौंद दिया। हादसे में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक राज कुमार सिंह निवासी गढ़ा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वे महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान आधारताल में अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं, जब वे निवास पर मौजूद थे तभी उनके घर के सामने सड़क पर एक आवारा श्वान जा रहा था। इसी दौरान शाम लगभग 5:15 बजे सफेद रंग की एक बोलेरो क्रमांक एमपी 66 सी 5785 के चालक ने वाहन को लापरवाही और तेज गति से चलाते हुए श्वान के ऊपर चढ़ा दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बेजुबान ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद उन्होंने वाहन रुकवाया और चालक से पूछताछ की तो चालक ने अपनी नाम राहुल कनोजिया निवासी ललित कॉलोनी, घमापुर बताया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है।

छत से गिरी बुजुर्ग महिला की मौत

जबलपुर। पनागर थाना अंतर्गत ग्राम देवरी में शुक्रवार सुबह अपने ही घर की छत से गिरने से घायल बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार देवरी निवासी श्रीमती रज्जो बाई दाहिया (76) शुक्रवार सुबह करीब 8:15 बजे अपने घर की छत पर थीं। इसी दौरान अचानक अनियंत्रित होकर वह नीचे गिर गईं, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। आनन-फानन में परिजनों द्वारा उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए शासकीय अस्पताल पनागर ले जाया गया। डॉक्टरों ने महिला की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें तत्काल मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। रज्जो बाई के नाती वासु दाहिया ने उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया। किंतु, चोटों के गंभीर होने के कारण सुबह लगभग 10:20 बजे उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज से मिली सूचना के आधार पर पनागर पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया गया है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि महिला किन परिस्थितियों में गिरी है।

श्वान ने किया अटैक, बालक हुआ घायल

पुलिस ने मालिक पर दर्ज की एफआईआर

जबलपुर। घमापुर थाना अंतर्गत लोली मोहल्ला में एक पालतू कुत्ते ने 11 साल के बालक पर अटैक करते हुए उसे घायल कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट पर श्वान मालिक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक लोली मोहल्ला छोटी खेरमाई के पीछे निवासी सुरेश गिराये का 11 वर्षीय

बेटा ओम गिराये अपनी दादी राधा बाई के साथ मंदिर दर्शन के लिए जा रहा था। जैसे ही वे मोहल्ले की गली में प्रियांशु के घर के पास पहुँचे, वहाँ खुले में घूम रहे भीम नामक व्यक्ति के पालतू कुत्ते ने अचानक ओम पर हमला कर दिया। सफेद-पीले रंग के पट्टे वाले कुत्ते ने बालक ओम के दाहिने पैर की जाँघ पर जोर से काट लिया। बच्चे की चीख सुनकर साथ में मौजूद दादी राधा बाई ने कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बालक के पिता सुरेश के अनुसार श्वान आरोपी भीम का ही है और अक्सर बिना सुरक्षा के घूमता रहता है। पुलिस ने रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया है।

धोखाधड़ी | मझौली जनपद के ग्राम दुहतरा में राशि हड़पने के लगे आरोप

सरपंच-सचिव ने फर्जी बिल लगाकर हड़पे 3 .50 लाख

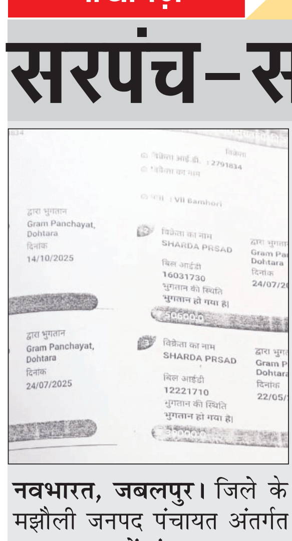

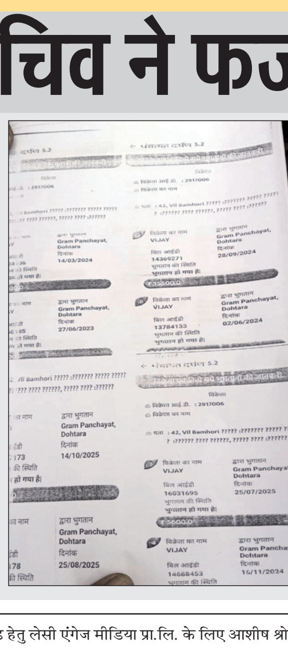

नवभारत, जबलपुर। जिले के मझौली जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम दुहतरा में पंचायत स्तर पर वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया है। यहां के सरपंच अरविंद पटेल और सचिव अजीत रजक पर फर्जी बिलों के माध्यम से विकास कार्यों की राशि हड़पने के आरोप लगाए गए हैं। शिकायत के अनुसार, पांचवें वित्त आयोग की लगभग 3.50 लाख रुपए की राशि का दुरुपयोग किया गया है।

बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर लगभग 3-4 महीने पहले जनपद पंचायत की टीम द्वारा जांच भी की गई थी, लेकिन उस जांच के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

बिल पर सरपंच के करीबियों के नाम

शिकायत कर्ता का आरोप है कि सरपंच - सचिव ने यह 3.50 लाख रुपए की राशि फर्जी बिल लगाकर निकाली गई, जिनमें सरपंच के करीबी शारदा पटेल और विजय पटेल के नाम का उपयोग किया गया। वर्ष 2023 से 2025 के बीच लगातार इन बिलों के आधार पर भुगतान किए जाने की बात कही गई है। जो पंचायत दर्पण एप पर भी दर्ज है।

जनसुनवाई में कई बार शिकायत, नहीं हुई कार्यवाही

शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने पहली बार 11 नवंबर 2025 को जनसुनवाई में इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद भी कई बार कलेक्टर के नाम आवेदन प्रस्तुत किए गए, लेकिन हर बार आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। स्थानीय स्तर पर इस मामले को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कार्रवाई न होने के कारण सरपंच और सचिव के हौसले बुलंद हैं और वे लगातार फर्जी बिलों के जरिए सरकारी राशि का दुरुपयोग कर रहे हैं।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57